

सरकारी धनराशि की निगरानी

बजट की समीक्षा कैसे करें

154.29%
Cumulative Return
11 years

सृष्टि सिंह, तुषार चक्रवर्ती


जून 2024

स्वीकरण: प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।

सरकारी वित्त पर संसद की नजर

केंद्र सरकार का व्यय 2000-01 में 3.3 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2023-24 में 45 लाख करोड़ रुपए हो गया, यानी प्रति व्यक्ति 32,150 रुपए का व्यय। नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार के उद्देश्य से इस सरकारी धन को रक्षा, सुरक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्च किया जाता है।

रेखाचित्र 1: केंद्र सरकार का व्यय बढ़ रहा है (लाख करोड़ रुपए में)




संसद के सदस्य (सांसद) यह जांच करते हैं कि यह धन कहां से जमा किया जा रहा है, इसे किस प्रकार खर्च करने की योजना है और क्या इस व्यय से अपेक्षित परिणाम हासिल होंगे। सांसद दो प्रकार से सरकार को इस खर्च के लिए जवाबदेह ठहरा सकते हैं। पहला, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के शुरू होने से पहले वे केंद्रीय बजट की समीक्षा करते हैं और उसे मंजूर करते हैं जिसमें व्यय संबंधी प्राथमिकताओं, कराधान के प्रस्तावों और आगामी वित्तीय वर्ष में उधारियों का उल्लेख होता है। दूसरा, वे मंजूर किए गए व्यय की ऑडिट रिपोर्ट्स की जांच करते हैं ताकि यह देखा जा सके कि आवंटनों को प्रभावी और उपयुक्त तरीके से इस्तेमाल किया गया है।

यह प्राइमर उन प्रणालियों को स्पष्ट करता है जिनके जरिए सांसद सरकार के वित्तीय प्रस्तावों पर नजर रख सकते हैं। प्राइमर में उन पारिभाषिक शब्दों को भी स्पष्ट किया गया है जोकि बजट दस्तावेजों में सरकार की आय और व्यय तथा दोनों के अधिशेष या घाटे का खुलासा करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। प्राइमर में बजट में प्रस्तुत किए जाने वाले विभिन्न दस्तावेजों का विवरण दिया गया है और यह भी स्पष्ट किया गया है कि इनसे क्या जानकारी हासिल की जा सकती है।

केंद्रीय बजट की निगरानी

संसद दो प्रकार से सरकारी धनराशि पर नजर रखती है: (क) केंद्रीय बजट के जरिए सरकारी व्यय और कराधान प्रस्तावों की जांच और उन्हें मंजूरी, और (ख) संसदीय समितियों (पार्लियामेंट्री कमिटीज़) के जरिए विभिन्न कार्यों के लिए आवंटित धनराशि के उपयोग की समीक्षा करना।

रेखाचित्र 2: बजटीय प्रक्रिया



संसद में बजट पेश होने के बाद क्या होता है?


संसद में बजट पेश होने के बाद लोकसभा और राज्यसभा में उस पर सामान्य चर्चा होती है। इस स्तर पर चर्चा बजट और सरकार के प्रस्तावों की सामान्य जांच पर ख तक सीमित होती है। चर्चा के अंत में वित्त मंत्री जवाब देते हैं। इस चरण पर वोटिंग नहीं होती।

सामान्य चर्चा के बाद संसद में कुछ हफ्तों का अवकाश हो जाता है। इस चरण में सभी मंत्रालयों के व्यय संबंधी विस्तृत अनुमानों को संसद की स्थायी समितियों (स्टैंडिंग कमिटीज़) के पास समीक्षा के लिए भेजा जाता है। इन अनुमानों को अनुदान मांग कहा जाता है। समितियों में लोकसभा और राज्यसभा, दोनों के सदस्य होते हैं।

बजटीय प्रक्रिया में स्थायी समितियों की क्या भूमिका होती है?

वर्तमान में 24 स्थायी समितियां सभी मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा करती हैं। स्थायी समितियों का एक काम मंत्रालयों को आवंटित धनराशि की समीक्षा करना है। उदाहरण के लिए रक्षा संबंधी स्थायी समिति रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सभी विभागों की अनुदान मांगों की समीक्षा करती है जोकि 2023-24 के लिए 45.9 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है (यानी बजट का 13.2%)।

रेखाचित्र 3: स्थायी समितियों के दायरे में आने वाले व्यय (2023-24)



स्थायी समितियां निम्नलिखित की समीक्षा करती हैं: (i) मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के लिए आवंटित राशि, (ii) मंत्रालय को आवंटित राशि के उपयोग की प्रवृत्ति, (iii) योजना की डिजाइनिंग और उसके परिणाम, और (iv) प्रत्येक मंत्रालय की नीतिगत प्राथमिकता। इसके लिए मंत्रालय के अधिकारियों से समिति के सामने हाजिर होकर प्रश्नों के उत्तर देने तथा अनुदान मांगों के संबंध में अतिरिक्त जानकारी प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है। मंत्रालय के व्यय की समीक्षा करने के दौरान समितियां विषय संबंधी विशेषज्ञों से सलाह भी ले सकती हैं या उन्हें विचार प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित कर सकती हैं।

समीक्षा के बाद समितियां अपनी रिपोर्ट संसद को सौंपती हैं। समितियों के सुझावों के जरिए सांसदों को मंत्रालयों के प्रस्तावित व्यय के प्रभावों को समझने में मदद मिलती है और वे इन्हें मंजूर करने से पहले पूर्ण रूप से भिन्न होकर बहस में हिस्सा ले सकते हैं।

स्थायी समिति द्वारा ग्रामीण विकास विभाग की अनुदानों मांगों की समीक्षा


2023-24 की अनुदान मांगों की समीक्षा के दौरान समिति के निष्कर्ष और सुझावों में निम्नलिखित शामिल थे: (i) नौकरियों की उच्च मांग के कारण महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत धनराशि के आवंटन में वृद्धि, (ii) मनरेगा के तहत गारंटीशुदा काम के दिनों की संख्या में बढ़ोतरी की संभावनाएं तलाशना, और (iii) दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण जैसी प्रमुख ग्रामीण विकास योजनाओं के तहत बड़ी मात्रा में खर्च न की गई राशि को प्रबंधित करने के लिए बेतर वितीय विवेक। समिति ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत सहायता अपर्याप्त थी। इसलिए निर्धारित समय में मकान नहीं बन पाए। उसने सुझाव दिया था कि यह सहायता बढ़ाई जाए, ताकि निर्माण की बढ़ती लागत को पूरा किया जा सके।

रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद क्या होता है?

सामान्य तौर पर लोकसभा में चार से पांच अनुदान मांगों पर विस्तृत चर्चा की जाती है। हर वर्ष अलग-अलग मंत्रालयों को चर्चा के लिए चुना जाता है और यह फैसला लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति (बिजनेस एडवाइजरी कमिटी) द्वारा किया जाता है। चर्चा के बाद वोटिंग होती है। जिन मांगों पर चर्चा नहीं होती और अंतिम दिन वोटिंग होती है, वे गिलोटिन हो जाती हैं, यानी एक साथ पारित हो जाती हैं।

निम्नलिखित रेखाचित्र में 2015-16 से 2023-24 के दौरान गिलोटिन होने वाले बजटीय व्यय का हिस्सा प्रदर्शित किया गया है। 2018-19 और 2023-24 में सभी अनुदान मांगों को गिलोटिन कर दिया गया था, यानी बिना चर्चा के पारित कर दिया गया था।

रेखाचित्र 4: बजट व्यय का हिस्सा: गिलोटिन बनाम चर्चा (%)



अनुदान मांगों पर वोटिंग के दौरान सांसद 'कटौती प्रस्ताव' के जरिए अपनी नामंजूरी व्यक्त कर सकते हैं। अगर कटौती प्रस्ताव पारित हो जाता है तो इसका अर्थ यह है कि सरकार में विश्वास खत्म हो गया है और कैबिनेट से त्यागपत्र देने की अपेक्षा की जाती है। सांसद मंत्रालय की अनुदान राशि में निम्नलिखित कटौतियों के लिए कटौती प्रस्ताव रख सकते हैं: (i) मंत्रालय की नीतियों से नामंजूरी जताते हुए एक रुपए करने का, (ii) एक विशिष्ट राशि की कटौती का (मितव्ययता कटौती), या (iii) विशिष्ट शिकायत दर्ज कराने के लिए 100 रुपए की टोकन राशि का।

बजटीय प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है?

अनुदान मांग मंजूर करने के पश्चात उन्हें एप्रोप्रिएशन बिल में शामिल कर दिया जाता है। बिल स्वीकृत व्यय के लिए भारत के समेकित कोष से धन निकासी की कोशिश करता है जिसमें सरकार की सभी प्राप्तियां और उधारियां शामिल होती हैं।

एप्रोप्रिएशन बिल के पारित होने के बाद फाइनांस बिल पर भी विचार किया जाता है और उसे पारित किया जाता है। इस बिल में कर दरों में परिवर्तनों और विभिन्न संस्थाओं पर कर लगाने से संबंधित विवरण होते हैं।

लोकसभा के बजट पारित करने के बाद राज्यसभा एप्रोप्रिएशन और फाइनांस बिल को पारित करते समय केवल सुझाव दे सकती है क्योंकि वे दोनों मनी बिल होते हैं।

फाइनांस बिल

फाइनांस बिल बजट के साथ प्रस्तावित किया जाता है और इसमें आगामी वर्ष में सरकार के वित्तीय प्रस्ताव शामिल होते हैं। फाइनांस बिल को मूल रूप से मनी बिल के रूप में पेश किया जाता है। संविधान के अनुसार मनी बिल वे होते हैं जिनमें कराधान, सरकार की उधारियों या भारत के समेकित कोष से संबंधित प्रावधान होते हैं। मनी बिल को केवल लोकसभा की मंजूरी की जरूरत होती है, जिस पर राज्यसभा सिर्फ अपने सुझाव देती है।

हाल के वर्षों में फाइनांस बिल्स में ऐसे विषयों को शामिल किया गया है जिनका करों या सरकार के व्यय से कोई संबंध नहीं था। उदाहरण के लिए फाइनांस बिल, 2017 ने 19 अर्ध न्यायिक निकायों, जैसे सिविलियोरिटीज अपीलीय ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल्स और टेलीकॉम विवाद निपटारा और अपीलीय ट्रिब्यूनल की संरचना में बदलाव किए और प्रतिस्पर्धा अपीलीय ट्रिब्यूनल सहित सात अन्य निकायों को रद्द किया। 2017 के बिल में चुनावी बांड को प्रस्तावित किया गया जो राजनीतिक दलों को गुमनाम चंदा देने की अनुमति देता था। फाइनांस बिल, 2022 ने भारतीय रिजर्व बैंक को डिजिटल रूप में बैंक नोट जारी करने की अनुमति दी थी।

अगर सरकार वर्ष के दौरान अतिरिक्त धन खर्च करना चाहती है तो क्या होता है?

वर्ष के दौरान अगर सरकार को धन खर्च करने की जरूरत पड़ती है जिसे संसद द्वारा मंजूर नहीं किया गया है या उसे अतिरिक्त व्यय करना होता है तो वह *अनुपूरक अनुदान मांग* प्रस्तावित कर सकती है। उल्लेखनीय है कि बजट में प्रस्तुत अनुदान मांगों से अलग, इन अनुपूरक मांगों की समीक्षा स्थायी समितियों द्वारा नहीं की जाती।

2023-24 में सरकार ने दो अनुपूरक अनुदानों मांगों को प्रस्तावित किया। इनके लिए संसद को लगभग 1.4 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त व्यय को मंजूर करना था (यानी 2023-24 के बजट का 3%)।

उदाहरण के लिए दूसरी अनुदान मांगों में खाद्य और उर्वरक सबसिडी के तहत अतिरिक्त व्यय को वित्त पोषित करने के लिए क्रमशः 9,231 करोड़ रुपए और 3,000 करोड़ रुपए प्रदान किए गए।

केंद्रीय बजट की तैयारी

वित्त मंत्रालय द्वारा बजट सर्कुलर के प्रकाशन के साथ बजट की तैयारी की शुरू हो जाती है। बजट पेश करने के करीब 5-6 महीने पहले सर्कुलर जारी किया जाता है। इसमें इस बात का उल्लेख होता है कि विभिन्न मंत्रालय कितने वक्त में वित्त मंत्रालय को प्राप्ति और व्यय संबंधी अनुमान सौंपेंगे। इन अनुमानों के आधार पर अगले वित्तीय वर्ष के बजट अनुमान तैयार किए जाते हैं।

बजट पारित होने के बाद निगरानी

बजट पारित होने के बाद संसद की निगरानी इसलिए जरूरी है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संसद द्वारा मंजूर राशि को उपयुक्त तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। वित्तीय समितियां (फाइनांशियल कमिटीज़) सरकार के व्यय पर संसदीय नियंत्रण की समीक्षा करती हैं और संसद में रिपोर्ट पेश करती हैं।

लोक लेखा समिति (पब्लिक एकाउंट्स कमिटी)

वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के बाद नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) सरकार के आय और व्यय के एकाउंट्स को ऑडिट करता है। फिर इस रिपोर्ट को संसद में पेश किया जाता है। प्रत्येक वर्ष कैग की कई रिपोर्ट्स संसद में पेश होती हैं। चूंकि संसद के लिए इन सभी रिपोर्ट्स पर चर्चा करना मुश्किल है और इसमें काफी समय लगता है, इसलिए लोक लेखा समिति (पीएसी) को कैग की रिपोर्ट्स के निष्कर्षों की जांच करने का कार्य सौंपा गया है। पीएसी इस बात की समीक्षा करती है कि क्या सरकार उस उद्देश्य के लिए धन खर्च कर रही है जिसके लिए संसद ने व्यय को मंजूर किया है।

रिपोर्ट्स की जांच करते समय पीएसी कैग के अधिकारियों, विभिन्न मंत्रालयों और विशेषज्ञों से बातचीत करती है। सरकार पीएसी की प्रत्येक रिपोर्ट पर जवाब देती है और बताती है कि उसने किस सुझाव को मंजूर किया और किसे नामंजूर। इन प्रतिक्रियाओं के आधार पर पीएसी ऐक्शन टेकन रिपोर्ट तैयार करती है और उसे संसद में पेश किया जाता है।

आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पर पीएसी की 151वीं रिपोर्ट

समिति ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) पर कैग की प्रदर्शन ऑडिट रिपोर्ट की समीक्षा की। पीएमजेएवाई का उद्देश्य आबादी के गरीब और कमजोर तबकों को द्वितीयक और तृतीयक स्तर की स्वास्थ्य सेवाओं की वहनीयता, सुलभता और गुणवत्ता में सुधार करना है। समिति के निष्कर्षों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) लाभार्थियों की पहचान और सत्यापन की प्रक्रिया में कमियां, (ii) डुप्लिकेशन और अपात्र लाभार्थियों के समावेश के कारण अनापेक्षित लाभार्थियों को अत्यधिक भुगतान, और (iii) बैंक एकीकरण की कमी, ऑफलाइन भुगतान और राज्यों के हिस्से की धनराशि जारी करने में देरी के कारण बड़ी मात्रा में लंबित दावे।

समिति ने निम्नलिखित सुझाव दिए: पात्र लाभार्थियों के कवरेज की निगरानी के लिए एक स्वतंत्र निकाय की स्थापना, लाभार्थियों के आंकड़ों की सटीकता बढ़ाने के लिए अंतर्निहित सत्यापन जांच को शामिल करना और फाइनांशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स का अनुपालन सुनिश्चित करना।

प्राक्कलन समिति (एस्टिमेट्स कमिटी)

प्राक्कलन समिति स्वीकृत और व्यय की गई राशि पर, और सरकार की सामान्य नीतियों पर संसदीय नियंत्रण कायम करती है। समिति के मुख्य कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं: (क) सुधारों और प्रशासनिक सुधार, जो किए जा सकते हैं, को रिपोर्ट करना, और (ख) प्रशासन को प्रभावी बनाने के लिए वैकल्पिक नीतियों के संबंध में सुझाव देना, और (ग) यह सुझाव देना कि क्या प्रस्तावित व्यय सरकारी नीति की सीमा के भीतर है।

इससे पूर्व प्राक्कलन समिति विभिन्न मंत्रालयों के व्यय के प्रस्तावित अनुमानों की जांच करने का काम करती थी। 1993 से विभाग संबंधी स्थायी समिति को यह कार्य सौंपा गया तो प्राक्कलन समिति व्यापक रूप से कुछ सरकारी संगठनों के कार्यों की जांच करने लगी।

सशस्त्र बलों की तैयारी- रक्षा उत्पादन और खरीद पर प्राक्कलन समिति की 29वीं रिपोर्ट

समिति ने निम्नलिखित निष्कर्ष और सुझाव दिए: (i) रक्षा संबंधी तैयारी के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन आवंटित किए जाने चाहिए, चूंकि 2017-18 का बजटीय रक्षा व्यय जीडीपी का 1.6% था, जोकि 1962 से अब तक सबसे कम व्यय था, (ii) रक्षा बजट में पूंजीगत खरीद का हिस्सा लगातार कम हो रहा है जिसका प्रतिकूल असर सशस्त्र बलों की आधुनिकीकरण प्रक्रिया पर पड़ रहा है, और (iii) पुराने किस्म के हथियारों के स्थान पर आधुनिक हथियारों की तत्काल जरूरत जिसके लिए पूंजीगत बजट में पर्याप्त वृद्धि करनी होगी।

सार्वजनिक उपक्रम समिति (पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमिटी)

सार्वजनिक उपक्रम समिति का काम सार्वजनिक क्षेत्र की विभिन्न कंपनियों, जैसे भारतीय खाद्य निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के कामकाज की समीक्षा करना है। समिति: (i) सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के वित्तीय लेखों और कैग रिपोर्ट्स की समीक्षा करती है, और (ii) यह जांच करती है कि क्या ये इकाइयां उचित व्यावसायिक सिद्धांतों के अनुसार संचालित की जा रही हैं।

सरकारी वित्त को समझना

सरकारी वित्त को समझना

बजट के अंग के रूप में वित्त मंत्री द्वारा आगामी वर्ष में सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण को पेश किया जाता है। इस विवरण में उस राशि के अनुमानों का उल्लेख होता है जिसे सरकार विभिन्न मंत्रालयों पर खर्च करने वाली है और यह भी कि विभिन्न स्रोतों, जैसे करों की वसूली और सार्वजनिक उपक्रमों के लाभांशों से किस प्रकार उस धनराशि को अर्जित किया जाएगा। बजट में सरकार की उधारियों और उसके समूचे ऋण के अनुमानों का भी जिक्र होता है। इसके अतिरिक्त विवरण में यह लेखा भी होता है कि पिछले वर्ष संसद को दिए गए अनुमानों की तुलना में सरकार ने कितना धन अर्जित या खर्च किया है।


इस खंड में बजट की मुख्य अवधारणाओं और पारिभाषिक शब्दों को सरल शब्दों में प्रस्तुत करके, केंद्र सरकार की वित्तीय स्थिति को स्पष्ट किया गया है।

सरकार अपने व्यय को किस प्रकार वित्त पोषित करती है?

सरकार की प्राप्तियों से इस बात का संकेत मिलता है कि सरकार के पास अपने व्यय को वित्त पोषित करने के लिए क्या संसाधन उपलब्ध हैं। ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं: (i) सरकार की अपनी प्राप्तियां, और (ii) उधारियां।

सरकार अन्य स्रोतों के अतिरिक्त विभिन्न विभागों द्वारा लगाए जाने वाले करों, शुल्क और जुर्माने, सार्वजनिक उपक्रमों के लाभ में हिस्सेदारी और सार्वजनिक परिसंपत्तियों की बिक्री से धन अर्जित करती है। उधारियों की जरूरत तब पड़ती है, जब व्यय की तुलना में सरकार की अपनी प्राप्तियां कम होती हैं।

रेखाचित्र 5: सरकार के कुल व्यय में 40% हिस्सा उधारियों का (2023-24)




सरकार की प्राप्तियों को व्यापक स्तर पर दो हिस्सों में बांटा जा सकता है- राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियां। सरकार की **राजस्व प्राप्तियों** में कर और गैर कर प्राप्तियां शामिल हैं।

इस श्रेणी में कर प्राप्तियों का घटक सर्वाधिक है और सरकार की स्वयं प्राप्तियों में उसका हिस्सा 90% है। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी), कॉर्पोरेशन टैक्स और इनकम टैक्स जैसे कर सरकार के लिए सबसे अधिक प्राप्तियां अर्जित करते हैं। 2023-24 में इन प्राप्तियों का हिस्सा क्रमशः 26%, 25% और 24% था।

सरकार को करों के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से भी प्राप्तियां होती हैं। ऐसी गैर कर प्राप्तियों में शुल्क और जुर्माना, सार्वजनिक उपक्रमों के लाभांश, पेट्रोलियम उत्पादन से रॉयल्टी और लाइसेंस की बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि शामिल होती है। 2023-24 में सरकार की प्राप्तियों में गैर-कर स्रोतों से प्राप्तियों का हिस्सा 8% था।

रेखाचित्र 6: सरकार की अपनी प्राप्तियों का ब्रेकअप (2023-24)



कुछ प्राप्तियां सरकार की परिसंपत्तियों या देनदारियों में परिवर्तन करती हैं। उदाहरण के लिए सरकार की उधारियों से देनदारियों में बढ़ोतरी होती है, जबकि सार्वजनिक परिसंपत्तियों की बिक्री से होने वाली प्राप्तियों (जिसे विनिवेश कहते हैं) से सरकारी परिसंपत्तियों में गिरावट होती है। ऐसी प्राप्तियां **पूंजीगत प्राप्तियां** कहलाती हैं। 2023-24 में सरकार की प्राप्तियों में पूंजीगत प्राप्तियों (उधार के अलावा) का 2% हिस्सा था।

पिछले कुछ वर्षों के दौरान इन पूंजीगत प्राप्तियों में विनिवेश से होने वाली प्राप्तियों का बड़ा हिस्सा रहा है। जैसे 2023-24 में पूंजीगत प्राप्तियों में विनिवेश से प्राप्त का हिस्सा 61% था।

राज्यों को हस्तांतरण

केंद्र सरकार कुछ करों की वसूली से देश भर से धनराशि जमा करती है। इनमें इनकम टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, केंद्रीय जीएसटी और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी शामिल है। इस धनराशि को वित्त आयोग के फार्मूले के आधार पर केंद्र और राज्यों के बीच बांटा जाता है। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसे राष्ट्रपति द्वारा हर पांच वर्ष में स्थापित किया जाता है ताकि वह केंद्र और राज्यों के बीच कर प्राप्तियों के वितरण के संबंध में सुझाव दे सके।

15वें वित्त आयोग ने यह सुझाव दिया था कि 2020-21 और 2021-26 की अवधि के लिए केंद्र सरकार की 41% कर प्राप्तियों को राज्यों को सौंपा जाए। इसका अर्थ यह है कि ऐसे करों से अर्जित धनराशि के 41% हिस्से को राज्यों के बीच वितरित किया जाता है। केंद्र सरकार को शेष 59% हिस्सा मिलता है।


हालांकि कुछ करों, जैसे सेस और सरचार्ज का वितरण राज्यों के बीच नहीं किया जाता। उदाहरण के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी सेस (आय कर पर वसूले जाने वाले) से प्राप्त होने वाले धन को केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को हस्तांतरित नहीं किया जाता। यह समूची राशि केंद्र सरकार की प्राप्तियों में आती है।

दिसंबर 2023 में 2026-31 अवधि के लिए 16वें वित्त आयोग (चेयर: डॉ. अरविंद पनगढ़िया) का गठन किया गया था। आयोग 31 अक्टूबर, 2025 तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगा।

सरकार अपना धन कैसे खर्च करती है?

सरकार रक्षा बलों, इंफ्रास्ट्रक्चर, योजनाओं एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन, सबसिडी, ऋण पर ब्याज चुकाने और वेतन एवं पेंशन सहित प्रशासनिक मदों में धन खर्च करती है।

रेखाचित्र 7: विभिन्न मंत्रालयों का व्यय (2023-24)




सरकार के व्यय का एक बड़ा हिस्सा (2023-24 के बजट का 24%) उधारियों पर ब्याज चुकाने में खर्च होता है। ये ब्याज भुगतान उस प्रतिबद्ध व्यय का हिस्सा है जिसके लिए सरकार बाध्य है।

इसके अतिरिक्त सरकार के व्यय का एक हिस्सा सबसिडी (9%) और पेंशन (5%) पर खर्च किया जाता है। ब्याज भुगतान के साथ, इन दो घटकों पर सरकार के बजट के 38% के बराबर खर्च होता है (2023-24)। इन मदों में किया जाने वाला व्यय **राजस्व व्यय** कहलाता है। इसमें प्रशासनिक खर्च और वेतन भुगतान जैसे घटक भी शामिल हैं।

शेष राशि **पूंजीगत व्यय** होता है जोकि परिसंपत्तियों के सृजन या देनदारियों को कम करने पर खर्च होता है। इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे सड़क, अस्पताल और स्कूलों का निर्माण और उधारियों को चुकाना शामिल है।

रक्षा, शिक्षा या परिवहन जैसे क्षेत्रों के व्यय में *राजस्व* और *पूंजीगत* व्यय, दोनों शामिल हो सकते हैं। उदाहरण के लिए शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल की इमारत बनाना पूंजीगत व्यय होता है क्योंकि इससे परिसंपत्ति का सृजन होता है। कुछ मदों में नियमित रूप से होने वाले व्यय, जैसे स्कूली शिक्षकों के वेतन का भुगतान, को राजस्व व्यय में शामिल किया जाता है।

रेखाचित्र 8: सरकारी व्यय का ब्रेकअप (2023-24)



अगर कुल व्यय, कुल प्राप्तियों से अधिक हो?

अगर सरकार का व्यय, उसकी कुल प्राप्तियों से अधिक होता है, तो सरकार इस अंतर को उधारियों के जरिए वित्त पोषित करती है। इस अंतर को **राजकोषीय घाटा** कहा जाता है और यह उस वर्ष की अपेक्षित उधारियों के बराबर होता है। अगर प्राप्तियां व्यय से अधिक होती हैं तो राजकोषीय अधिशेष होता है।

कुछ वर्षों के दौरान राजकोषीय घाटा बजट अनुमानों से अधिक रहा है। अधिक बड़े राजकोषीय घाटे से सरकार की उधारियों में बढ़ोतरी होती है। परिणाम के तौर पर सरकार को इन उधारियों के ब्याज भुगतान के रूप में अतिरिक्त व्यय करने का भार वहन करना पड़ता है। जैसा कि पहले जिक्र किया गया है, सरकार द्वारा व्यय की जाने वाली धनराशि का एक बड़ा हिस्सा ब्याज चुकाने में खर्च होता है (2023-24 में बजट का 24% हिस्सा)।

राजस्व घाटा तब होता है जब राजस्व व्यय, राजस्व प्राप्तियों से अधिक होता है। किसी वर्ष में राजस्व घाटा उस वर्ष सरकार की उधारियों की ओर संकेत देता है जोकि उसे अपने राजस्व खर्च को पूरा करने के लिए लेना पड़ता है, जैसे प्रशासनिक खर्च, या वेतन या ब्याज का भुगतान। इन उधारियों से परिसंपत्तियों के सृजन में कोई मदद नहीं मिलती।


एफआरबीएम एक्ट, 2003 में राजकोषीय लक्ष्य

राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) एक्ट, 2003 में केंद्र सरकार से यह अपेक्षा की गई है कि वह अपने राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3% पर सीमित करे। इस लक्ष्य को हासिल करने की प्रारंभिक समय सीमा 2007-08 थी जिसे पिछले वर्षों के दौरान कई बार बढ़ाया गया।

फाइनांस एक्ट, 2018 ने इस लक्ष्य को हासिल करने की समय सीमा को 2017-18 से बढ़ाकर 2020-21 कर दिया। एक्ट ने उस प्रावधान को भी हटा दिया जिसमें केंद्र सरकार से राजस्व घाटे को जीडीपी के 2% पर सीमित करने की अपेक्षा की गई थी। फरवरी 2021 में केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर एफआरबीएम एक्ट के तहत राजकोषीय घाटे के लक्ष्य में बदलाव की घोषणा की। उसने कहा कि राजकोषीय समेकन के नए रोडमैप को दर्शाने के लिए एफआरबीएम एक्ट में संशोधन किया जाएगा।

2023-24 में सरकार की प्राप्तियों और व्यय के बीच का अंतर (राजकोषीय घाटा) जीडीपी का 5.9% अनुमानित था। इसका अर्थ यह है कि सरकार को अपने व्यय संबंधी लक्ष्य को पूरा करने के लिए जीडीपी के 5.9% के बराबर धनराशि उधार लेने की जरूरत है। अनुमान है कि जीडीपी के 2.9% के बराबर की उधारियों को राजस्व घाटे को दूर करने में खर्च किया जाएगा।


रेखाचित्र 9: जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा



बकाया ऋण

सरकार प्राप्तियों और व्यय के बीच के अंतर (राजकोषीय घाटा) को कम करने के लिए सालों-साल जो उधार लेती है, उससे उस पर ऋण बढ़ता जाता है। वर्ष 2023-24 के अंत में केंद्र सरकार का बकाया कर्ज जीडीपी (2023-24 बजट) का 57.2% होने का अनुमान है।

रेखाचित्र 10: जीडीपी के प्रतिशत के रूप में बकाया ऋण



यह पिछली सरकारों द्वारा उधार ली गई राशि है और वर्तमान में 2023-24 के अंत में चुकाने योग्य है। अधिक उधारी लेने पर बकाया ऋण बढ़ता जाता है या सरकार द्वारा भुगतान करने पर बकाया ऋण में गिरावट आती है।

एफआरबीएम एक्ट विनिर्दिष्ट करता है कि सरकार के बकाया ऋण (केंद्र और राज्य का संयुक्त) को 2024-25 तक जीडीपी के 60% पर लाया जाए। इसमें केंद्र सरकार के बकाया ऋण को जीडीपी के 40% पर लाने का लक्ष्य भी शामिल है।

उच्च ऋण का अर्थ यह है कि सरकार पर ऋण को चुकाने की अधिक बड़ी बाध्यता है। इससे ब्याज भी उच्च स्तरीय होता है, चूंकि पूरे बकाया ऋण पर ब्याज चुकाना होता है।


क्या बजट अनुमान सरकार के वास्तविक व्यय से मेल खाता है?

बजट में सरकार आगामी वित्तीय वर्ष के अनुमानों को प्रस्तुत करती है। वर्ष के समाप्त होने पर कैग द्वारा वास्तविक आंकड़ों को ऑडिट किया जाता है, जिसके बाद उन्हें आगामी बजट के साथ संसद में प्रस्तुत किया जाता है, यानी अनुमान के दो वर्ष बाद वास्तविक आंकड़े सामने आते हैं।

सरकार के कुछ अनुमान वर्ष के दौरान बदल सकते हैं जोकि वास्तविक आंकड़ों में प्रदर्शित होते हैं। उदाहरण के लिए वर्ष के दौरान कुछ मंत्रालयों को बजट में आवंटित वास्तविक धनराशि से अधिक राशि की जरूरत हो सकती है या कुछ स्रोतों से आने वाली प्राप्तियों में परिवर्तन हो सकते हैं।

निम्नलिखित आंकड़ों में 2007-08 से 2022-23 की अवधि के दौरान बजटीय अनुमानों और सरकार के कुल व्यय के बीच तुलना की गई है। जबकि सरकार ने कुछ वर्षों में अनुमान से कम खर्च किया है (2018-19 और 2019-20), कुछ दूसरे वर्षों में बजट से अधिक व्यय किया गया है (2020-21 और 2021-22)।

रेखाचित्र 11: सरकार का व्यय (बजटीय बनाम वास्तविक, रुपए करोड़ में)



बजट दस्तावेजों पर एक नजर

बजट दस्तावेजों को कैसे संयोजित किया जाता है?

इस खंड में संसद में पेश होने वाले बजट दस्तावेजों और उनमें उल्लिखित जानकारियों का विवरण प्रस्तुत किया गया है। इससे पाठकों को इन दस्तावेजों को नैविगेट करने तथा अपेक्षित जानकारियां हासिल करने के बारे में भी पता चलेगा। हालांकि बजट में लगभग 14 दस्तावेज होते हैं, लेकिन उन्हें चार मुख्य श्रेणियों में बांटा जा सकता है (देखें तालिका 1)।

सारांश से संबंधित दस्तावेज: इन दस्तावेजों में बजट के मुख्य प्रावधानों का सारांश होता है जिसमें मुख्य नीतिगत घोषणाएं, कर प्रस्ताव या सरकार की प्राप्ति और व्यय के कुल आंकड़े शामिल होते हैं। चूंकि वे सारांश संबंधी दस्तावेज होते हैं, उनमें मंत्रालय या किसी कार्यक्रम की विशेष मदों के आवंटनों से संबंधित विशिष्ट आंकड़े मौजूद नहीं होते।

व्यय से संबंधित दस्तावेज: इन दस्तावेजों में सरकार के व्यय से संबंधित जानकारियां होती हैं। इनके विवरण क्षेत्रों, मंत्रालयों और योजनाओं द्वारा प्रदान किए जाते हैं।

प्राप्तियों से संबंधित दस्तावेज: इन दस्तावेजों में सरकार द्वारा कर प्राप्ति, गैर कर प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति और उधारियों के जरिए अर्जित धनराशि के संबंध में जानकारी होती है।

एफआरबीएम से संबंधित दस्तावेज: इन दस्तावेजों को राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन एक्ट, 2003 (एफआरबीएम) के प्रावधानों के अंतर्गत पेश किया जाता है। इस एक्ट के अंतर्गत सरकार से सुदृढ़ आर्थिक नीतियों का अनुपालन और बजट घाटे की सीमा तय करने की अपेक्षा की जाती है।

इन दस्तावेजों के अतिरिक्त सरकार **बजट घोषणाओं का कार्यान्वयन** नामक दस्तावेज भी संसद के पटल पर रखती है। इसमें पिछले वित्तीय वर्ष में विभिन्न क्षेत्रों की बजट घोषणाओं से संबंधित प्रगति का उल्लेख होता है।

तालिका 1: केंद्रीय बजट के दस्तावेज

श्रेणी	दस्तावेज
सारांश से संबंधित दस्तावेज	बजट भाषण: मुख्य व्यय और कर प्रस्तावों की झलक।
	बजट का सार: सरकार द्वारा अर्जित कुल धनराशि (कर या उधारियों के जरिए) का संक्षिप्त विवरण, किस प्रकार उस धन को खर्च किया जाए और बजट घाटा/अधिशेष।
	वार्षिक वित्तीय विवरण: बजट का सार के समान, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत प्रदत्त अनिवार्यताओं को प्रदर्शित करने के लिए अलग तरह से संयोजित किया जाता है।
व्यय से संबंधित दस्तावेज	व्यय की रूपरेखा: सभी मंत्रालयों के कुल व्यय का सारांश प्रस्तुत करता है। ब्याज की भिन्न-भिन्न श्रेणियों के अनुसार व्यय को प्रस्तुत करता है, यानी महिलाओं या बच्चों हेतु योजनाओं के लिए आवंटित राशि का सारांश।
	व्यय का बजट: प्रत्येक मंत्रालय के व्यय का विस्तृत विश्लेषण।
	अनुदान मांग/एप्रोप्रिएशन बिल: संविधान के अंतर्गत अनिवार्य दो दस्तावेज, संसद को भिन्न-भिन्न मंत्रालयों और योजनाओं को एक निश्चित धनराशि आवंटित करने का प्रावधान करते हैं। संसद इन दस्तावेजों को पारित करने के लिए मतदान करती है।
प्राप्तियों से संबंधित दस्तावेज	प्राप्ति बजट: विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करता है कि किस प्रकार सरकार भिन्न-भिन्न स्रोतों से धनराशि अर्जित करेगी।
	फाइनांस बिल: संसद में प्रस्तुत बिल जिसमें सरकार के कर प्रस्तावों को लागू करने के लिए कानूनी संशोधन करने का प्रयास किया जाता है (और उस पर वोटिंग होती है)।
	फाइनांस बिल का मेमोरैंडम: फाइनांस बिल के कानूनी प्रावधानों और उनके प्रभावों को सरल भाषण में प्रस्तुत करता है।
एफआरबीएम से संबंधित दस्तावेज	मैक्रो-इकोनॉमिक रूपरेखा: अर्थव्यवस्था की वृद्धि की संभावनाओं पर सरकार के मूल्यांकन को स्पष्ट करता है।
	मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति: अगले तीन वर्षों के बजट घाटे की सीमा तथा कर और गैर कर प्राप्तियों के लक्ष्यों को निर्धारित करने वाला वक्तव्य।
	राजकोषीय नीति से संबंधित रणनीति: सूदढ़ आर्थिक नीतियों के अनुपालन के सरकार के प्रयासों का खुलासा करने वाला वक्तव्य जिसमें एफआरबीएम एक्ट के अंतर्गत घाटे के लिए निर्धारित लक्ष्यों को पूरा न करने के कारणों को स्पष्ट किया जाता है (देखें उपरिलिखित मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति)।

जैसा कि तालिका में स्पष्ट है, संविधान के प्रावधानों अथवा एफआरबीएम एक्ट के अंतर्गत संसद में कुछ दस्तावेजों को पेश करना (और कुछ मामलों में वोटिंग) अपेक्षित है। इनमें वार्षिक वित्तीय विवरण, फाइनांस बिल, अनुदान मांगें, एप्रोप्रिएशन बिल और एफआरबीएम दस्तावेज शामिल हैं।

कोई जानकारी कैसे हासिल की जा सकती है?

इस खंड में उदाहरणों के माध्यम से बताया गया है कि बजट दस्तावेजों में मुख्य मानदंडों के आधार पर कैसे जानकारी हासिल की जा सकती है। बजट दस्तावेज वेबसाइट indiabudget.gov.in पर उपलब्ध है।

‘बजट अनुमान’, ‘संशोधित अनुमान’ और ‘वास्तविक’ क्या होते हैं?

बजट दस्तावेजों में आपको चार कतार मिलेंगी।

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

	2021-2022 वास्तविक Actuals	2022-2023 बजट अनुमान Budget Estimates	2022-2023 संशोधित अनुमान Revised Estimates	2023-2024 बजट अनुमान Budget Estimates
1. Revenue Receipts	2169905	2204422	2348413	2632281
2. Tax Revenue (Net to Centre)¹	1804793	1934771	2086662	2330631
3. Non Tax Revenue	365112	269651	261751	301650

अगले वर्ष के लिए सरकार जिस राशि का अनुमान लगाती है, उसे *बजट अनुमान* कहा जाता है। जैसे फरवरी 2023 में प्रस्तुत बजट में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए विभिन्न मदों के बजट अनुमान प्रदर्शित किए गए हैं।

किसी वित्तीय वर्ष में कुछ मंत्रालयों को *बजट अनुमान* के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक राशि की जरूरत हो सकती है या किसी स्रोत से अर्जित होने वाली प्राप्तियों में परिवर्तन हो सकता है। ऐसे संशोधनों में उस व्यय में बढ़त या कमी का लेखा-जोखा हो सकता है जो मौजूदा कार्यक्रमों, नए कार्यक्रमों की शुरुआत या प्राप्तियों में होने वाले परिवर्तनों के परिणामस्वरूप जरूरी होता है। इस प्रकार सरकार चालू वर्ष के लिए *संशोधित अनुमान* अगले वर्ष के बजट अनुमान के साथ प्रस्तुत करती है। सरकार ने 2023-24 के बजट अनुमान के साथ-साथ 2022-23 के लिए संशोधित अनुमान भी पेश किए।

वास्तविक आंकड़े वर्ष के अंत में ऑडिट होने वाली अंतिम राशि का संकेत होते हैं और अनुमान से अधिक या कम हो सकते हैं। चूंकि वास्तविक आंकड़े वित्तीय वर्ष के समाप्त होने और अंतिम लेखा तैयार करने के बाद ही ऑडिट होते हैं, इसलिए बजट में पिछले वर्ष के *वास्तविक* आंकड़े प्रदर्शित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए 2023-24 के बजट में 2021-22 के *वास्तविक* आंकड़े प्रदर्शित किए गए हैं।

बजट दस्तावेजों में कुल व्यय, कुल प्राप्तियां, राजकोषीय घाटा और दूसरे 'बड़े' आंकड़े कहां हैं?

बजट का सार- देखें। इसके पहले पृष्ठ पर तालिका में पूरे बजट का सारांश होता है।

'बजट का सार' खंड में बजट के मुख्य आंकड़े दिए जाते हैं जिन्हें पाठकों के लिए पढ़ना सरल होता है। इस दस्तावेज में केंद्र सरकार की प्राप्तियां और व्यय के मुख्य घटक प्रदर्शित किए जाते हैं। इसमें सरकार के घाटों, जैसे राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा और प्राथमिक घाटा का उल्लेख भी होता है।

बजट का सार Budget at a Glance

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		2021-2022	2022-2023	2022-2023	2023-2024
		वास्तविक	बजट	संशोधित	बजट
		Actuals	अनुमान	अनुमान	अनुमान
			Budget	Revised	Budget
			Estimates	Estimates	Estimates
1. राजस्व प्राप्तियां	1. Revenue Receipts	2169905	2204422	2348413	2632281
2. कर राजस्व (केंद्र को निवल) ¹	2. Tax Revenue (Net to Centre) ¹	1804793	1934771	2086662	2330631
3. कर भिन्न राजस्व	3. Non Tax Revenue	365112	269651	261751	301650
4. पूंजी प्राप्तियां	4. Capital Receipts	1623896	1740487	1838819	1870816
5. ऋणों की वसूली	5. Recovery of Loans	24737	14291	23500	23000
6. अन्य प्राप्तियां	6. Other Receipts	14638	65000	60000	61000
7. उधार और अन्य देयताएं ²	7. Borrowings and Other Liabilities ²	1584521	1661196	1755319	1786816
8. कुल प्राप्तियां (1+4)	8. Total Receipts (1+4)	3793801	3944909	4187232	4503097
9. कुल व्यय (10+13)	9. Total Expenditure (10+13)	3793801	3944909	4187232	4503097
10. राजस्व खाते पर जिसमें से	10. On Revenue Account of which	3200926	3194663	3458959	3502136
11. ब्याज भुगतान	11. Interest Payments	805499	940651	940651	1079971
12. पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान	12. Grants in Aid for creation of capital assets	242646	317643	325588	369988
13. पूंजी खाते पर	13. On Capital Account	592874	750246	728274	1000961
14. प्रभावी पूंजी व्यय (12+13)	14. Effective Capital Expenditure (12+13)	835520	1067889	1053862	1370949
15. राजस्व घाटा (10-1)	15. Revenue Deficit (10-1)	1031021	990241	1110546	869855
		(4.4)	(3.8)	(4.1)	(2.9)
16. प्रभावी राजस्व घाटा (15-12)	16. Effective Revenue Deficit (15-12)	788375	672598	784958	499867
		(3.3)	(2.6)	(2.9)	(1.7)
17. राजकोषीय घाटा [9-(1+5+6)]	17. Fiscal Deficit [9-(1+5+6)]	1584521	1661196	1755319	1786816
		(6.7)	(6.4)	(6.4)	(5.9)
18. प्राथमिक घाटा (17-11)	18. Primary Deficit (17-11)	779022	720545	814668	706845
		(3.3)	(2.8)	(3.0)	(2.3)

2023-24 के लिए कर प्राप्तियां

2023-24 के लिए अनुमानित कुल व्यय

2023-24 के लिए राजकोषीय घाटे का अनुमान; करोड़ में और जीडीपी के % के रूप में

किन करों से सरकार को सर्वाधिक प्राप्तियां होती हैं?

बजट का सार (प्राप्तियां)- देखें। इस दस्तावेज में इस संबंध में विस्तृत जानकारी होती है कि किस प्रकार सरकार विभिन्न स्रोतों से धन अर्जित करेगी।

निम्नलिखित रेखाचित्र में प्रदर्शित होता है कि सरकार ने जीएसटी से कर प्राप्तियों का एक बड़ा हिस्सा अर्जित करने का अनुमान लगाया है (2023-24 में 9,56,600 करोड़ रुपए)। यह भी प्रदर्शित होता है कि निगम कर (कॉर्पोरेशन टैक्स) (2023-24 में 9,22,675 करोड़ रुपए) और आय कर (इनकम टैक्स) (2023-24 में 9,22,675 करोड़ रुपए) भी सरकार की प्राप्तियों के मुख्य स्रोत हैं।

प्राप्तियां Receipts

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

	2021-2022 वास्तविक Actuals	2022-2023 बजट अनुमान Budget Estimates	2022-2023 संशोधित अनुमान Revised Estimates	2023-2024 बजट अनुमान Budget Estimates	
राजस्व प्राप्तियां	REVENUE RECEIPTS				
1. कर राजस्व	I. Tax Revenue				
सकल कर राजस्व	2709315	2757820	3043067	3360858	निगम कर प्राप्तियां (2023-24)
क. निगम कर	712037	720000	835000	922675	
ख. आय पर कर	696243	700000	815000	900575	आयकर प्राप्तियां (2023-24)
ग. धन कर	13	
घ. सीमा शुल्क	199728	213000	210000	233100	
ङ. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	394644	335000	320000	339000	
च. सेवा कर	1012	2000	1000	500	
छ. जीएसटी	698114	780000	854000	956600	जीएसटी प्राप्तियां (2023-24)
-केन्द्रीय जीएसटी	591226	660000	724000	811600	
-आइजीएसटी	2119	
-जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर	104769	120000	130000	145000	
ज. संघ राज्य क्षेत्रों पर कर	7524	7820	8067	8408	
घटाइए - राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि/राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि को अंतरित एनसीसीडी	6130	6400	8000	8780	
घटाइए - राज्यों का हिस्सा	898392	816649	915798	1021448	
घटाइए - पिछले वर्षों के लिए राज्यों के हिस्से का समायोजन	32607	...	
1क केन्द्र का निवल कर राजस्व	1804794	1934771	2086662	2330631	

सबसिडी और पेंशन पर सरकारी व्यय की जानकारी कहाँ उपलब्ध है?

बजट का सार (व्यय)- देखें। इस दस्तावेज में तालिका 'मुख्य मदों का व्यय' में उन विभिन्न मदों का विवरण मौजूद होता है जिनमें सरकार धन खर्च करती है।

किसानों को बेची जाने वाली खाद और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रदत्त खाद्य पदार्थों पर सबसे अधिक सबसिडी दी जाती है। दस्तावेज में सबसिडी के आवंटन से संबंधित आंकड़े भी देखे जा सकते हैं। उदाहरण के लिए 2023-24 में खाद्य सबसिडी के लिए 1,97,350 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। इसके अतिरिक्त दस्तावेज में विभिन्न मंत्रालयों द्वारा पेंशन पर किए गए व्यय (2023-24 में 2,34,359 करोड़ रुपए) की जानकारी भी है।

प्रमुख मदों का व्यय Expenditure of Major Items

(₹ करोड़) (In ₹ crore)

		2021-2022 वास्तविक Actuals	2022-2023 बजट अनुमान Budget Estimates	2022-2023 संशोधित अनुमान Revised Estimates	2023-2024 बजट अनुमान Budget Estimates	
पेंशन	Pension	198946	207132	244780	234359	पेंशन हेतु आवंटन (2023-24)
रक्षा	Defence	366546	385370	409500	432720	
सब्सिडी -	Subsidy -					
उर्वरक	Fertiliser	153758	105222	225220	175100	प्रमुख सबसिडी के लिए आवंटन (2023-24)
खाद्य	Food	288969	206831	287194	197350	
पेट्रोलियम	Petroleum	3423	5813	9171	2257	
कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलाप (पीएम- किसान को छोड़कर)	Agriculture and Allied Activities (Excluding PM-KISAN)	76492	83521	76279	84214	
पीएम-किसान*	PM-KISAN*	66825	68000	60000	60000	
वाणिज्य और उद्योग	Commerce and Industry	47068	53116	37540	48169	
पूर्वोत्तर का विकास	Development of North East	2653	2800	2755	5892	
शिक्षा	Education	80352	104278	99881	112899	
ऊर्जा	Energy	53696	49220	70936	94915	
विदेश	External Affairs	14146	17250	16973	18050	
वित्त	Finance	57364	21354	17908	13574	
स्वास्थ्य	Health	84091	86606	77351	88956	
गृह	Home Affairs	112301	127020	124872	134917	
ब्याज	Interest	805499	940651	940651	1079971	
आईटी और दूरसंचार	IT and Telecom	25053	79887	74106	93478	
अन्य	Others	108447	113301	108102	120524	
योजना और सांख्यिकी	Planning and Statistics	3753	5720	6209	6268	
ग्रामीण विकास	Rural Development	228760	206293	243317	238204	
वैज्ञानिक विभाग	Scientific Departments	27772	30571	25626	32225	
सामाजिक कल्याण	Social Welfare	40595	51780	46502	55080	
कर प्रशासन	Tax Administration	177144	171677	177343	194749	

किसी मंत्रालय या विभाग में विभिन्न मदों के लिए आवंटित राशि का कैसे पता लगाया जा सकता है?

व्यय बजट को देखें। यह विभिन्न विभागों और मंत्रालयों के आवंटनों की जानकारी देता है। हम कृषि और किसान कल्याण विभाग का उदाहरण ले सकते हैं। निम्नलिखित रेखाचित्र में इस विभाग का कुल आवंटन प्रस्तुत किया गया है, साथ ही इसके अंतर्गत विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के विस्तृत अनुमानों के आंकड़े भी हैं।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE
DEMAND NO. 1
Department of Agriculture and Farmers Welfare

(In ₹ crores)

	Actual 2021-2022			Budget 2022-2023			Revised 2022-2023			Budget 2023-2024			
	Revenue	Capital	Total	Revenue	Capital	Total	Revenue	Capital	Total	Revenue	Capital	Total	
Gross	114827.54	12.89	114840.43	123960.75	39.25	124000.00	110203.20	51.33	110254.53	115489.37	42.42	115531.79	
Recoveries	-372.87	...	-372.87	
Receipts	
Net	114454.67	12.89	114467.56	123960.75	39.25	124000.00	110203.20	51.33	110254.53	115489.37	42.42	115531.79	
A. The Budget allocations, net of recoveries, are given below:													
CENTRE'S EXPENDITURE													
Establishment Expenditure of the Centre													
1. Secretariat													
1.01	Secretariat	144.79	...	144.79	163.40	...	163.40	168.23	...	168.23	235.89	3.90	239.79
1.02	International Cooperation	39.90	...	39.90	50.73	...	50.73	44.66	...	44.66	45.92	...	45.92
1.03	Other Attached and Subordinate Offices	695.21	...	695.21	380.12	39.25	419.37	662.77	51.33	714.10	1081.14	38.52	1119.66
Total- Secretariat		879.90	...	879.90	594.25	39.25	633.50	875.66	51.33	926.99	1362.95	42.42	1405.37
Central Sector Schemes/Projects													
2. Crop Insurance Scheme													
2.01	Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana	13549.24	...	13549.24	15500.00	...	15500.00	12375.76	...	12375.76	13625.00	...	13625.00
3. Interest Subsidy for Short Term Credit to Farmers													
3.01	Interest Subsidy for Short Term Credit to Farmers	21476.93	...	21476.93

2023-24 में कृषि विभाग हेतु आवंटन

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आवंटन (2023-24)

किसी योजना के लिए आवंटित राशि की जानकारी कहां से मिलेगी?

व्यय बजट को देखें। उसमें केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं की तालिका है, जैसे हमने यहां प्रस्तुत की है। इस दस्तावेज में सभी केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं को एक तालिका में प्रस्तुत किया गया है (केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं ऐसी योजनाएं होती हैं जिन्हें राज्य सरकार द्वारा लागू किया जाता है लेकिन इन्हें केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित किया जाता है)।

CENTRALLY SPONSORED SCHEMES

(In ₹ Crores)

MINISTRY/DEPARTMENT	Actuals 2021-2022			Budget Estimates 2022-2023			Revised Estimates 2022-2023			Budget Estimates 2023-2024		
	Revenue	Capital	Total	Revenue	Capital	Total	Revenue	Capital	Total	Revenue	Capital	Total
(A) Core of the Core Schemes	118551.68	...	118551.68	99214.70	...	99214.70	113099.41	...	113099.41	86144.83	...	86144.83
1. Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Program	98467.85	...	98467.85	73000.00	...	73000.00	89400.00	...	89400.00	60000.00	...	60000.00
2. National Social Assistance Program	8152.23	...	8152.23	9652.31	...	9652.31	9652.00	...	9652.00	9636.32	...	9636.32
3. Umbrella Programme for Development of Minorities	1428.40	...	1428.40	1810.00	...	1810.00	530.00	...	530.00	610.00	...	610.00
4. Umbrella Programme for Development of Other Vulnerable Groups	1744.65	...	1744.65	1931.00	...	1931.00	1921.00	...	1921.00	2193.97	...	2193.97
5. Umbrella Programme for Development of Scheduled Tribes	3779.16	...	3779.16	4111.38	...	4111.38	3874.02	...	3874.02	4295.40	...	4295.40
6. Umbrella Scheme for Development of Schedule Castes	4979.39	...	4979.39	8710.01	...	8710.01	7722.39	...	7722.39	9409.14	...	9409.14
(B) Core Schemes	337157.73	13.86	337171.59	343556.93	9.56	343566.49	338795.65	6.31	338801.96	389532.00	427.76	389959.76
7. Ayushman Bharat - Pradhan Mantri Jan Arogya Yojna (PMJAY)	3115.55	...	3115.55	6457.00	...	6457.00	6427.00	...	6427.00	6789.01	411.00	7200.01
8. Blue Revolution	1179.17	...	1179.17	1891.00	...	1891.00	1422.00	...	1422.00	2025.00	...	2025.00
9. Border Area Development Programme	216.00	...	216.00	565.72	...	565.72	160.00	...	160.00	600.00	...	600.00
10. Environment, Forestry and Wildlife	657.47	...	657.47	930.19	...	930.19	549.18	...	549.18	758.80	...	758.80
11. Green Revolution	6733.95	12.89	6746.84
12. Infrastructure Facilities for Judiciary	692.60	...	692.60	858.00	...	858.00	858.00	...	858.00	1061.00	...	1061.00
13. Jal Jeevan Mission (JJM)/National Rural Drinking Water Mission	63125.70	...	63125.70	60000.00	...	60000.00	55000.00	...	55000.00	70000.00	...	70000.00
14. Jobs and Skill Development	2073.71	0.11	2073.82	2687.97	0.27	2688.24	1676.43	0.17	1676.60

मनरेगा के लिए आवंटन (2023-24)

जल जीवन मिशन के लिए आवंटन (2023-24)

पारिभाषिक शब्द

प्राप्तियां सरकार को मिलने वाली धनराशि होती है। इनमें: (i) सरकार द्वारा अर्जित धनराशि, और (ii) उधारियों के रूप में प्राप्त होने वाली राशि या राज्यों को दिए गए ऋण की अदायगी शामिल होती है।

पूंजीगत प्राप्तियों में वे प्राप्तियां शामिल होती हैं जिनसे सरकार की परिसंपत्तियों में गिरावट या देनदारियों में बढ़ोतरी होती है। इनमें: (i) परिसंपत्तियों की बिक्री, जैसे सार्वजनिक उपक्रमों के शेयरों की बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि, और (ii) उधारियों के रूप में प्राप्त होने वाली राशि या राज्यों को दिए गए ऋण की अदायगी शामिल होती है।

राजस्व प्राप्तियां ऐसी प्राप्तियां होती हैं जिनका सरकार की परिसंपत्तियों और देनदारियों पर कोई सीधा असर नहीं होता। इनमें सरकार द्वारा कर और गैर कर स्रोतों (जैसे लाभांश से प्राप्त होने वाली आय) से अर्जित धनराशि शामिल होती है।

पूंजीगत व्यय परिसंपत्तियों के सृजन या देनदारियों को कम करने के लिए किया जाता है। इसमें: (i) सड़क, अस्पतालों जैसी परिसंपत्तियों के सृजन के लिए सरकार द्वारा इस्तेमाल धन, और (ii) सरकार द्वारा राज्यों को ऋण के रूप में दिया गया धन या उसकी उधारियों की अदायगी शामिल होती है।

राजस्व व्यय सरकार का वह व्यय होता है जिसका उसकी परिसंपत्तियों या देनदारियों पर कोई असर नहीं होता। उसमें वेतन, ब्याज भुगतान, पेंशन और प्रशासनिक खर्च शामिल होता है।

शुद्ध उधारियों का अर्थ है, वर्ष के दौरान सरकार द्वारा उधार ली गई शुद्ध धनराशि। यह किसी एक वर्ष में सरकार की कुल उधारियां होती हैं जिसमें से मौजूदा उधारियों की अदायगी की राशि को कम कर दिया जाता है।

बकाया ऋण का अर्थ है, पिछले कुछ वर्षों के दौरान सरकार द्वारा उधार ली गई वह राशि, जोकि मौजूदा सरकार पर देय है। किसी वित्तीय वर्ष के आंकड़ों से यह संकेत मिलता है कि वर्ष के अंत में सरकार पर कितना ऋण बकाया है।

राजकोषीय घाटा, सरकार की व्यय संबंधी जरूरतों और उसकी प्राप्तियों के बीच का अंतर होता है। किसी एक वर्ष में सरकार को कितनी राशि उधार लेनी होगी, यह उसके बराबर होता है। अगर प्राप्तियां व्यय से अधिक होती हैं तो अधिशेष उत्पन्न होता है।

राजस्व घाटा प्राप्तियों और व्यय के राजस्व घटकों, यानी राजस्व संवितरण और राजस्व प्राप्तियों के बीच का अंतर होता है। इसका अर्थ यह है कि सरकार को गैर पूंजीगत घटकों (जिनसे परिसंपत्तियों का सृजन नहीं होगा) पर व्यय के लिए कितना उधार लेना होगा।

प्रभावी राजस्व घाटा, राजस्व घाटे और सरकार द्वारा राज्यों, स्थानीय निकायों या परिसंपत्तियों का सृजन करने वाली कार्यान्वयन एजेंसियों को दिए गए अनुदान के बीच का अंतर होता है।

प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटे और ब्याज भुगतान के बीच का अंतर होता है। यह सरकार की व्यय संबंधी जरूरतों और उसकी प्राप्तियों के बीच के अंतर का संकेत देता है लेकिन इसमें इस बात का जिक्र नहीं होता कि पिछले वर्षों के दौरान ब्याज भुगतानों पर कितना खर्च किया गया।

भारत का समेकित कोष वह कोष या लेखा होता है जिसमें सरकार की सभी प्राप्तियों को जमा किया जाता है और उसे सरकार के व्यय के वित्त पोषण के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

प्रभारित (चार्ज) व्यय में वह व्यय शामिल होता है जिस पर संसद में वोटिंग नहीं होती और उसे समेकित कोष से सीधा खर्च किया जाता है। ऐसे व्यय पर संसद में चर्चा की जा सकती है। जैसे ब्याज भुगतान, और राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते।

मतदान (वोटेड) व्यय में प्रभारित व्यय के अतिरिक्त सभी दूसरे व्यय शामिल होते हैं। ऐसे व्यय के लिए अनुदान मांगों के रूप में संसद में वोटिंग की जाती है।

फाइनांस बिल को बजट के साथ पेश किया जाता है और इसमें आगामी वर्ष के लिए सरकार के वित्तीय प्रस्ताव शामिल होते हैं।

एप्रोप्रिएशन बिल सरकार को अधिकार देता है कि वह समेकित कोष से धन निकाल ले। अनुदान मांगों के पारित होने के बाद इसे पेश और पारित किया जाता है।

स्रोत

लोकसभा रूल्स एंड प्रोसीजर्स, लोकसभा सचिवालय, 2019

एम. एन. कौल और एस. एल. शकधर, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा सचिवालय, 7वां संस्करण, 2016

यूनियन बजट डॉक्यूमेंट्स, 2002-03 से 2023-24, www.indiabudget.gov.in.

ब्रोशर ऑन डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़, लोकसभा सचिवालय, 2019

पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च
इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिसी रिसर्च स्टडीज
तीसरी मंजिल, गंधर्व महाविद्यालय,
212, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002

टेलीफोन: (011) 43434035, 23234801
www.prsindia.org